

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 04.07.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जैकरन पुत्र लल्लू चौधरी नि० बड़हरा जोरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—109 / 21, 02. विक्रम पुत्र लल्लू चौधरी नि० बड़हरा जोरा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—110 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अशोक पुत्र बटोही नि० पश्चिम पुरवा बखरौली थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—196 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 04.07.2021

मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने मु0अ0सं0—218 / 21, धारा— 308,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त संदीप सिंह को मुखबिर खास की सूचना पर झिलाही मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी राजेश सिंह पुत्र अधिका सिंह नि0 सहेरिया कला थाना वजीरगंज के लड़के को आपसी विवाद के चलते गाली—गुप्ता देते हुए मारा—पीटा था जिससे व मौके पर ही बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. संदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह नि0 सहेरिया कला थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01.मु0अ0सं0—218 / 21, धारा— 308,323,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 दिलीप सिंह मय टीम।